



# DrGenius Academy Welcomes You

Let's Begin Journey Together  
And Achive Dream  
Together

# Dr Surendra Dhiwa

Educator

( Law | Public administration and management )

( Polity and IR | Audit and Accounting )



धारा 207 → जिस भूमि पर से नाली ले जायी जाए उस पर  
पश्चात्तवर्ती भवन निर्माण के संबंध में उसके स्वामी  
का अधिकार →

नगरपालिका

नोटिस देगी (लिखित)

भूमि के स्वामी

Layout में change

नाली के निर्माण

नाली बंद / दिशा परिवर्तन

धारा 208

शाँचालयों आदि की व्यवस्था -

(a) यदि नगर पालिका की राय है कि किसी भवन/प्रीमि में

नये शाँचालयों  
मलमूजे

अतिरिक्त शाँचालयों

पुलश शाँचालयों  
के प्रतिस्थापन

की आवश्यकता है तो प्रीमि/भवन के  
स्वायी को नोटिस देकर अपेक्षा कर लेंगेगी

5 ऐसे व्यक्ति जो 20 या अधिक ग्रामों को नियोजित करते हैं या स्कूल / कक्ष / सार्वजनिक सभागम स्थल के प्रबंधकों से शौचालय हेतु अपेक्षा कर सकेंगी।

6 शौचालय की छत / दीवार / दरवाजा आदि लगाने की अपेक्षा स्वामी से की जा सकती है।

7  
 दर → डारवाजा 1-2 मीटर (20)  
 जुमाना → 2000 - 5000 रु

**धारा 219** → कारखाने, विद्यालय तथा सार्वजनिक  
स्थानों में नगर (cities) तथा मूलमय (Urinals)  
का निर्माण →



इन सभी स्थानों के प्रबंधकों को नगरपालिका इन सुविधाओं  
के निर्माण, उनके रखरखाव तथा उनकी सफाई  
का प्रबंध करने का आदेश दे सकेगी।

→ नगरपालिका को निरीक्षण का अधिकार

→ धुमना → 10000 - 20,000/-

धारा 240

→ शौचालयों आदि में परिवर्तन करने, उनकी  
मरम्मत करते और उनको ठीक दशा में रखने का

रकबा →

मालिक/स्वामी/आधिभोगी को लिखित नोटिस देनी  
नगरपालिका

(यदि रकबा निर्धारण नगरपालिका के रकबे से न  
हुआ हो।)

धारा 211

=> विद्यमान डाइवर्ट नालियो को बंद करने की शक्ति ->

कारण  
↓

यदि विद्यमान नाली नगरपालिका की मालवदन की सामान्य पद्धति के अनुसार नहीं है

[जल निकास के लिए समान रूप से उभारी नाली की व्यवस्था करके]



धारा 212 → अध्याधित रूप से निर्मित, पुनर्निर्मित या जारी रखी जाने वाली मूल नालियों के संबंध में  
शक्ति →

① नगरपालिका अध्याधित रूप से निर्मित स्टाण्डरड की संरचना को बंद होने या नगरपालिका विधि के अनुसार पुनर्निर्मित होने का लिखित नोटिस देगी।

→ जुमाना → 1500-2000/-

घाटा  
213

=> नगरपालिका की मातियो का अतिक्रमण →

Encroachment

घाटा/माती के उपर अनन

निर्माण

नोडोरे का आदेश

नगरपालिका की माती में ले

घाटा माती निकालना

(बिना सम्मति के)

जुमाना => 1000/-

**धारा 214**

→ नालियो का निरीक्षण →

CE निरीक्षण करेगा तथा इस हेतु सूर्योदय व सूर्यास्त के बीच किसी समय किसी भवन में प्रवेश कर सकेगा तथा प्रत्यक्ष मुकाम का दौरा करते हुए भूमि खुदवा सकेगा।

सूचना { → नगर पालिका → यदि सब नियमानुसूल मिले  
 → भवन के स्वामी = कुल वर्गों के हिसाब से दर 1/2 की दर पर प्रशासनिक व पर्यवेक्षण उभारों सहित।

धारा 215 → कृत्रिम संस्कारों को स्वामी ले कराने  
के अलावा स्वयं निष्पादित करने की नगरपालिका  
की शक्ति →

स्वर्चा → कुल स्वर्चा के 10% की दर से प्रशासनिक व पर्यवेक्षण  
पुआरो सहित स्वर्चा उप व्यक्ति द्वारा संदत्त किया  
जाएगा जब तक कि नगरपालिका ऐसे कार्य का  
निष्पादन नगरपालिका निधि से कर लेने की मंजूरी  
न दे।

धारा 216

→ जल प्णाल प्रादि ले जाने की शक्ति -  
(water mains)

~~धारा 217~~

~~घातसायिक बहिःस्राव (effluent) से संबंधित~~  
विशेष प्रावधान →

धारा 218

घातसायिक बहिःस्राव के जलनिकास से  
संबंधित विशेष उपबंध - ६० डी थपेला

**धारा 219**

⇒ जल पबालो या नगरपालिका की  
 नालियो पर बिना अनुज्ञा के भवन, रेलवे  
 और प्रान्तेत मार्गो का परिनिर्माण या संनिर्माण नही किया  
जाता →

\* मुक्त नगरपालिका अधिकारी की अनुमति के बिना

\* कुगर बिना अनुमति निर्माण ⇒ तो हटाया जा सकेगा।

\*  
 ↓  
 उपगत व्यय उत्तरदायी व्यक्ति/  
 रेलवे प्रशासन (यथाशक्ति) से  
 वसूला जाएगा।

धारा 220 ⇒ कृत्रिम मामलों में रेल प्रशासन को  
सूचित किया जाना →  
↓

धारा 221 → परिसर के स्वामी को अन्य व्यक्ति की शक्तों  
में होकर पारप लगाने और नाली रखने  
की शक्ति →





























# THANK YOU

For Join Our Session



 +91-9636280355

[www.drgenius.academy.com](http://www.drgenius.academy.com)

